

जरिये ई-मेल

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक:-कारा/भवन/1/2015-16/नवीन महिला जेल/66574-689 दिनांक 19.3.19

अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागृह,
अजमेर।

विषय:-नवीन महिला बंदी सुधारगृह अजमेर को प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।
प्रसंग:-राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.9(3)गृह-12/कारा/2019 दिनांक
07.03.19 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा नव निर्मित महिला बंदी सुधारगृह अजमेर रथाई जेल घोषित की जा चुकी है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डी.बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 13627/2013 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2016 की अनुपालना में दिये गये दिशा निर्देशानुसार तत्काल नवीन महिला बंदी सुधारगृह अजमेर को नियमानुसार प्रारम्भ कर अनुपालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रूपिन्दर सिंघ)

महानिरीक्षक कारागार

राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज, उदयपुर।
2. समस्त मण्डलाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी केन्द्रीय, जिला, उप कारागृह, राजस्थान।
3. उप विधि परामर्श मुख्यालय कारागार जयपुर को डी.बी सिविल रिट पिटीशन संख्या 13627/2013 के संदर्भ में।
4. अधीक्षक (संस्थापन शाखा) मुख्यालय कारागार जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि तत्काल स्वीकृत स्टाफ अनुसार नवीन महिला बंदी सुधारगृह, अजमेर पर स्टाफ के पदस्थापन आदेश जारी करवाया जावे। संलग्न आदेश प्रति।
5. प्रभारी सामान्य शाखा/बंदी शाखा मुख्यालय कारागार जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शीघ्र कारागृह प्रारम्भ करवावे तथा महिला बंदीयों को भिजवाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करावे।
6. समस्त शाखा प्रभारी मुख्यालय कारागार, जयपुर।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को वास्ते वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु संलग्न आदेश प्रति।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर